



फार्म III | विनियम 7 (1) D (d) देखें |
Form III | see Regulation 7 (1) D (d)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE SERVICE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. एसक्यूएमएस/एल-9000035

Licence No. SQMS/L-9000035

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो

में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग

लखनऊ - 226 001 उत्तर प्रदेश

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants/renews to

M/s U.P Housing and Development Board

104, Mahatma Gandhi Marg

Lucknow - 226 001 (UP)

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर(रों) में उसी संख्या में सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/ नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा IS 15700:2005 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्/प्रचलित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Service Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with IS 15700:2005.

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद् द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

3. यह लाइसेंस 27 मई 2013 से 26 मई 2016 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 27 May 2013 to 26 May 2016 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

दो हजार तेरह के मार्च माह के सत्ताईसवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and Dated Twenty-Seventh day of May of two thousand Thirteen.

वैज्ञानिक-जी एवं उपमहानिदेशक (उत्तर)
Scientist-G & Dy. Director General (North)
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS



लाइसेंस सं. एसक्यूएमएस/एल-9000035
Schedule to Licence No. SQMS/L-9000035

जारी में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग
लखनऊ - 226 001 उत्तर प्रदेश

Issued to M/s U.P Housing and Development Board
104, Mahatma Gandhi Marg
Lucknow - 226 001 (UP)

अनुसूची
SCHEDULE

वे उत्पाद/सेवाएं/प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत किया गया है:

Products/Services/Processes with respect to which the firm has been granted/renewed the licence for Service Quality Management Systems Certification:

“THE SERVICES PROVIDED BY UPHDB INCLUDE LAND ACQUISITION, ARCHITECTURE, URBAN PLANNING, CONSULTANCY, QUALITY CONTROL & DESIGN DEVELOPMENT, CONSTRUCTION, MARKETING OF RESIDENTIAL COLONIES & INSTITUTIONAL/COMMERCIAL COMPLEXES, MANAGEMENT OF COOPERATIVE HOUSING SOCIETIES AT THEIR HEAD OFFICE AT LUCKNOW AND DIFFERENT LOCATIONS AS PER ANNEXURE ‘A’”

वैज्ञानिक-जी एवं उपमहानिदेशक (उत्तर)
Scientist-G & Dy. Director General (North)
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS